दिनांक 16.03.2020 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु राज्य समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थितिः पंजी के अनुसार।

चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग विश्वस्तर पर संक्रमण के फलस्वरूप फैल रहा है तथा भारत में भी 140 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी (Pandemic) घोषित कर दिया है एवं सभी राष्ट्र युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ इस संक्रमण को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चिकित्सकीय परीक्षण तथा उन्हें आवश्यकतानुसार Isolate करने संबंधी कार्यों में विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी एवं निम्न निर्णय लिये गये–

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं चिकित्सकीय परीक्षण/उपचारादि के लिए भारत सरकार से प्राप्त मार्ग–निदेश/Advisory आदि की प्रति सभी विभागों को स्वास्थ्य विभाग के स्तर से उपलब्ध कराया जाये।

अनुपालन– स्वास्थ्य विभाग

2. कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले व्यक्तियों के चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत चिकित्सकीय परामर्श के आलोक में उन्हें 14 दिनों हेतु Quarantine की आवश्यकता होगी। दिन–प्रतिदिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या में इजाफा को दृष्टिगत रखते हुये पटना एवं गया जिला में एक–एक Dedicated Quarantine Centre विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पटना जिला हेतु होटल पाटलिपुत्रा अशोक एवं गया जिला हेतु होटल सिद्धार्थ बिहार को तत्काल Quarantine Centre के रूप में विकसित करने का निदेश पर्यटन विभाग को दिया गया। Quarantine Centre विकसित करने का दायित्व पर्यटन विभाग का होगा। पर्यटन विभाग द्वारा उक्त दोनों स्थलों को Quarantine Centre के रूप में आवश्यक साजो–समान एवं Isolation Bed के साथ तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को ready mode में उपलब्ध करायेगा । स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उक्त दोनों स्थलों का उपयोग Quarantine हेतु कर किया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा विकसित Quarantine Centres के संचालन हेतु एक नोडल पदाधिकारी के साथ आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं चिकित्सकीय परीक्षण/उपचार हेतु चिकित्सकों/पाराचिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के स्तर से की जायेगी। पर्यटन विभाग द्वारा नामित/प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर Quarantine Centres का सुगम संचालन सुनिश्चित करेंगे। Quarantine Centres पर होने वाले आवश्यक व्यय का बजट पर्यटन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।

अनुपालन – पर्यटन विभाग/स्वास्थ्य विभाग

3. इसके अतिरिक्त संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होने पर शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर से संचालित शिक्षण संस्थानों एवं हॉस्टल का उपयोग भी Quarantine Centre के रूप में किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के पास सीमित संसाधन है और इस विभाग के संसाधन से ही चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार किया जाना है। अतएव, शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयुक्त शिक्षण संस्थानों एवं हॉस्टलों को चिन्हित करते हुये तत्काल Quarantine Centre के रूप में विकसित करने का निदेश दिया जाता है। संबंधित विभाग चिन्हित शिक्षण संस्थानों एवं हॉस्टलों को Quarantine Centre के रूप में आवश्यक साजो-समान एवं Isolation Bed के साथ तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को ready mode में उपलब्ध करायेगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त शिक्षण संस्थानों एवं हॉस्टल का उपयोग Quarantine हेतु किया जायेगा।

शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विकसित Quarantine Centres के संचालन हेतु एक नोडल पदाधिकारी के साथ आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं चिकित्सकीय परीक्षण/उपचार हेतु चिकित्सकों/पाराचिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के स्तर से की जायेगी। शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नामित/प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर Quarantine Centres का सुगम संचालन सुनिश्चित करेंगे। Quarantine Centres पर होने वाले आवश्यक व्यय का बजट शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।

अनुपालन – शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

4. विभागों के नियंत्राणाधीन भवनों/हॉस्टलों आदि को Quarantine Centre के रूप में संचालित करने में कई प्रकार की लॉजिस्टिक्स की समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपदा को दृष्टिगत रखते हुये विकल्प के रूप में जिला में संचालित निजी होटलों का उपयोग Quarantine Centre के रूप में किया जा सकता है।

अनुपालन – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

5. एयरपोर्ट एवं आवश्यकतानुरूप रेलवे स्टेशनों से संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित करने के उपरांत उन्हें Quarantine Centre पर लाने हेतु संबंधित जिला प्रशासन द्वारा परिवहन हेतु बस की व्यवस्था की जायेगी। इस पर होने वाले आवश्यक व्यय का बजट संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मांग की जायेगी।

अनुपालन – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

6. परिवहन विभाग द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सहित निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित सार्वजनिक बसों/वाहनों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रचार सामग्री/ Recorded Voice Cliping एवं Sanitization से संबंधित जारी दिशा-निर्देश परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये।

अनुपालन – परिवहन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

7. परिवहन विभाग के द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित बसों एवं अन्य वाहनों का Sanitization सुनिश्चित करायी जायेगी।

इस हेतु परिवहन विभाग के द्वारा बस अड्डा पर Help Desk खोलकर परिवहन ऑपरेटरों को Sanitization से संबंधित जारी दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध करायी जाय तथा सार्वजनिक बसों/वाहनों को Sanitize कराया जाय।

अनुपालन – परिवहन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी

8. Quarantine Centre तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल के Isolation Ward में भर्ती संदिग्ध मरीजों की सुरक्षा हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाये।

अनुपालन – गृह विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

9. सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव आदि के संबंध में प्रचार किया जायेगा। यथासंभव मुख्य रेलवे स्टेशनों पर कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु आवश्यक स्क्रीनिंग की व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की जाये। साथ ही, रेलवे प्रशासन द्वारा भी Quarantine Centre हेतु भवनों को चिन्हित किया जाये और भवनों में आवश्यकतानुसार Quarantine के लिए साजो-समान की व्यवस्था किया जाये। संदिग्ध मरीजों के चिकित्सकीय उपचार हेतु रेलवे अस्पतालों में भी Isolation Bed का प्रबंध किया जाये।

अनुपालन – महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक

10. संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिये पुलिस/NDRF/BSF को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय। साथ ही, आवश्यकतानुसार mock-drills भी करायी जाय।

अनुपालन – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/
पुलिस महानिदेशक

11. कोरोना वायरस की संभावित व्यापकता के मद्देनजर राज्य में अवस्थित सैन्य अस्पतालों में भी Quarantine Centre एवं Isolation Ward की सुविधा सुनिश्चित की जाये एवं आकस्मिकता की स्थिति में आमजन (Civilians) को भी कोरोना वायरस के चिकित्सकीय परीक्षण/उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। आकस्मिकता की स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं चिकित्सकीय परीक्षण/उपचार हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुमति से सैन्य अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सकों/विशेषज्ञों एवं पाराचिकित्सा कर्मी की सेवा ली जा सकेगी।

अनुपालन – गृह विभाग

12. एक व्यापक मीडिया रणनीति तथा योजना विकसित किया जाय, ताकि कोरोना वायरस से संबंधित सही जानकारी लोगो तक पहुँचाई जा सके एवं सोशल मीडिया पर अफवाहों/गलत जानकारी को भी Address किया जा सके। स्थानीय भाषाओं में भी मीडिया Campaigns चलाई जाय तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोरोना वायरस से संबंधित संवादो के लिये Slot की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन – सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/स्वास्थ्य विभाग

13. COVID-19 के प्रबंधन से संबंधित आवश्यक औषधियों, उपकरण/उपस्कर की व्यवस्था सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, इन औषधियों तथा उपकरण/उपस्कर के

आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित की जाय कि निकट भविष्य में इन सामग्रियों की आपूर्ति बाधित नही हो।

अनुपालन – स्वास्थ्य विभाग

14. ग्राम पंचायत तथा ग्राम समितियों की बैठक में कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी प्रदान की जाये एवं आमजनों के बीच जागरुकता फैलाई जाये। साथ ही, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को ग्रामीण वातावरण को स्वच्छ रखने के लिये आवश्यक सुविधा प्रदान की जाय।

अनुपालन – सभी जिला पदाधिकारी

15. श्रम संसाधन विभाग अन्तर्गत संचालित ESIC Hospital में कोरोना के संदिग्ध मरीजों हेतु Isolation facility विकसित किया जाए एवं Isolation bed की संख्या चिन्हित करते हुये इसे तुरंत क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन– श्रम संसाधन विभाग

16. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों को 03 Category में विभक्त करते हुये परीक्षण/स्क्रीनिंग करने का निदेश है। भारत सरकार के निदेश के अनुसरण में Category-A के यात्री को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के Isoation facility में एवं Category-B एवं Category-C के यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित Quarantine centres में भेजा जाये।

अनुपालन– स्वास्थ्य विभाग

17. राज्य में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आने के दौरान उनके पालतू जानवरों को भी Quarantine करने की आवश्यकता है। इस हेतु पशुपालन विभाग को Quarantine Centre चिन्हित करते हुये जानवरों के रखरखाव एवं उनके खान-पान आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग

18. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से नये कैदियों को जेल (कारागृह) में प्रवेश से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाये।

अनुपालन– गृह विभाग/कारा, महानिरीक्षक/स्वास्थ्य विभाग

19. जिला में अवस्थित होटलों के मालिक/संचालकों के साथ स्थानीय स्तर पर बैठक कर कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में विस्तृत रूप में सूचना उपलब्ध कराते हुये निदेश दिया जाये कि विदेशी पर्यटक/यात्री एवं ऐसे अतिथि जिनके द्वारा हाल के दिनों में विदेश यात्रा की गयी हो, के संबंध में सूचना/जानकारी जिला प्रशासन एवं सिविल सर्जन को अनिवार्य रूप से दिया जाये।

अनुपालन– सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक

20. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि बाह्य रोगी कक्ष (OPD) में मरीजों एवं उनके परिजनों की अनावश्यक भीड़ एकत्रित नही होने पाये।

अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी सिविल सर्जन

21. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल के सभी वार्ड, ओ०पी०डी०, प्रसव गृह, ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम आवश्यकतानुसार Sanitize किया जाये।

अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी सिविल सर्जन

22. राज्य के नेपाल के सीमावर्ती जिलों में लोगों के आवागमन पर निगरानी और चौकसी बढ़ायी जाए। साथ ही, राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चौकीदारों के माध्यम से विदेश से आये यात्रियों एवं कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी की सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/नजदीकी थाना/प्रखंड विकास पदाधिकारी/सिविल सर्जन को उपलब्ध कराया जाये।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी/
सभी आरक्षी अधीक्षक

23. भारत के राजपत्र सं० 980 दिनांक 13.03.2020 द्वारा कोविड 19 प्रबंधन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित किया गया है। अतः उक्त सामग्रियों की जिलास्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। अनाधिकृत संचय/जमाखोरी की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निरोधात्मक कार्रवाई करे।

अनुपालन - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

ह0/-
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक:...108 (H.S)...   दिनांक:...19.03.2020.

प्रतिलिपि:

- सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2020
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
बिहार, पटना